| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**निगरानी / टि0ए0 / 977 / 2004 / नागौर**<br>**हरिराम बनाम सुखराम** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **20.10.20** | **<u>एकल पीठ</u>**<br>**श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य**<br><br>**उपस्थितिः–**<br>श्री एस0पी0 सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी<br>श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी<br><br>**<u>निर्णय</u>**<br><br>हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230, के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर के निर्णय दिनांक 31.1.2004 प्रकरण संख्या 786/2000 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।<br><br>प्रकरण में दिनांक 9.10.2020 को उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, जिसके आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत की गई। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की ओर से दौराने बहस कथन किया कि धारा 212 आर0टी0ए0 के प्रार्थना पत्र पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष धारा 225 के अन्तर्गत अपील संख्या 76/2000 प्रस्तुत की गई थी जिसमें पारित निर्णय दिनांक 31.1.2004 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष ये निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए मूल वाद का निस्तारण हो चुका है, अतः अब यह निगरानी प्रभावहीन हो चुकी है। स्पष्ट है कि मूल वाद का निस्तारण हो जाने से यह निगरानी प्रभावहीन हो जाती है, अतः निगरानी प्रभावहीन होने से **खारिज** की जाती है।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(मनोज कुमार नाग)**<br>**सदस्य** | |